

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट—प्रथम, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 157 सन् 2017

दिनांक: 09.03.2024

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। विद्युत विभाग की तरफ से विद्वान विशेष अभियोजक उपस्थित है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर पर सम्बंधित थाना में अभियुक्तगण सागर सिंह, रामभरोष सिंह, छांगुर सिंह, केदारनाथ व मुन्ना लाल व सतीश के विरुद्ध मु.अ.सं. 223/2016, अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पावर थेफ्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के पश्चात अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को समन जारी किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। दौरान वाद विचारण विशेष अभियोजक द्वारा आदेश-पत्रक पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा समन शुल्क एवं राजस्व की धनराशि जमा कर दिया गया है। अतः वाद को लोक अदालत में निस्तारित करने की कृपा करें।

**विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(1) के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आधिकारी किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से संदेह है, अपराध के प्रशमन के रूप में इस उपधारा में दी गयी सारणी में सथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा। परन्तु यह कि समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के संबन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नही की जायेगी या जारी नही रखी जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत आधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के अर्थान्तर्गत **दोषमुक्ति** समझी जायेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिए एक ही बार अनुमति किया जायेगा।

प्रस्तुत मामले में कारित अपराध शमनीय प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है तथा प्रश्नगत अपराध को समाप्त किये जाने हेतु कार्यालय आख्या संलग्न है। अन्य कोई आपत्ति दाखिल नहीं है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 152(2) के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध जारी कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

विद्युत वाद सं0 157/2017, सरकार बनाम सागर सिंह वगैरह, मु.अ.सं. 281/2020, अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद चन्दौली की पत्रावली में अभियुक्तगण सागर सिंह, रामभरोष सिंह, छांगुर सिंह, केदारनाथ, मुन्ना लाल व सतीश समस्त कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट—प्रथम,  
चन्दौली।